बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 120 दिनांक 9/9/2008

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

दि0 09.09.2008 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक संघ के अध्यक्ष श्री अरूणचन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई।

पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया गयाः–

(क) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

(ख) बाढ़ राहत कोष में राशि जमा करने के संबंध में।

(ग) अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य बिन्दु।

2. सर्वप्रथम श्री रजनीकान्त, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनरूआ (पटना) द्वारा लालकार्ड घोटाले में उनपर दर्ज की गयी प्राथमिकी के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसके उपरान्त अपर समाहर्त्ता, सिवान श्री अमानुल्लाह, जिन्हें निगरानी विभाग द्वारा आरोपित किया गया है, घटना के संबंध में जानकारी दी।

3. इस संबंध में श्री रविनन्दन सहाय, उपसचिव, राजस्व विभाग, पूर्व जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बेतिया द्वारा लालकार्ड वितरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। श्री अमानुल्लाह एवम् श्री रजनीकान्त को खाद्य आपूर्त्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पूर्व में ही आरोपमुक्त किया जा चुका है। सदस्यों द्वारा इस बात पर रोष प्रकट किया गया कि निगरानी विभाग द्वारा गृह विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। गृह विभाग का यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है तो संबंधित विभाग के प्रधान के परामर्श से ही प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी। कुछ सदस्यों द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गयी कि जिस प्रकार से निगरानी विभाग द्वारा विभागीय आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है, इससे इस बात का भी अंदेशा हो चला है कि कई अन्य जिलों में जहाँ लालकार्ड घोटाले की जाँच चल रही है, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को फंसाया जा सकता है।

सभी सदस्यों ने इस संबंध में एक शिष्ट मंडल गठित कर मुख्य सचिव से वार्त्ता करने हेतु अनुरोध किया। अध्यक्ष द्वारा इस घटना की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखने हेतु महासचिव को निदेश दिया गया साथ ही यह भी तय हुआ कि संघ का एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव से इस संबंध में वार्त्ता करेगा।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

4. बिहार में बाढ़ राहत हेतु सभी सदस्यों से अपना एक दिन का वेतन संघ के कोष में देने का आह्वान किया गया था, परन्तु अभी तक बहुत कम जिलों से सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जिसपर अध्यक्ष द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी।

   महासचिव द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्वयं सभी जिलों में दूरभाष से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब सहयोग राशि जमा करने का अनुरोध किया है, ताकि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में स–समय मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग दिया जा सके।

5. अध्यक्ष द्वारा इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की गयी कि अभी तक स्वर्गीय अरविन्द कुमार मिश्र एवम् मरहूम मंजरूल आलम के परिवार हेतु सहयोग राशि कुछ जगहों से नहीं प्राप्त हुई है। इस संबंध में महासचिव द्वारा बतलाया गया कि सभी जिलों के जिला इकाई के अध्यक्ष एवम् सचिव से सहयोग राशि देने हुए नहीं देने वाले सभी पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवम् दूरभाष संख्या भेजने का अनुरोध किया गया तथा जिन पदाधिकारियों द्वारा अभी तक सहयोग राशि नहीं दी गयी है उन्हें अविलम्ब जमा करने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

6. संघ की बैठक के संबंध में पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माह के द्वितीय एवम् चतुर्थ रविवार को संघ की कार्यकारिणी की बैठक होगी। विचारोपरान्त इसमें आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक माह के द्वितीय एवम् चतुर्थ रविवार को संघ के पदधारकों की बैठक होगी। आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी की बैठक पूर्व निर्धारित समय पर नियमानुसार होगी। जिसके लिए एजेण्डा आवश्यकतानुसार तैयार किया जा सकेगा।

अंत में अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(अरूण चन्द्र मिश्र)
अध्यक्ष

ज्ञापांकः– 120 दिनांकः– 9/9/2008

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य/विशेष आमंत्रित सभी सदस्य/ सभी जिला इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/9/08

(सुशील कुमार)
महासचिव